

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता किशनचन्द पुत्र धन्नु राम जाति अरोडा निवासी वार्ड नं० 8 कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.07.1997 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 05.04.2008 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 11.07.1997 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह राधेश्याम पुत्र सुनाम राम एवं बसन्त कुमार पुत्र राधा राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री विनोद सीवर, सुरेश अरोडा अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/257

22/11/21

6  
22/11